हुक्म	96/2019 2019/0033/ जगनाथ बनाम मनीराम आदि हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज M.R. Sah	नम्बर व तारीख अहकाम, जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

08.02.21 पक्षकार फरीकैन उपस्थित। बहस सुनी गयी। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रा-पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए न्यायालय द्वारा पूर्व में पारित अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश 15/10/19 को मूल वाद के निर्णय तक स्थायी करने हेतु निवेदन किया। वकील अप्रार्थिगण ने बहस में कथन किया कि प्रार्थिनी द्वारा स्वेच्छा से इस्तमरारदारी करवायी गयी थी। अप्रार्थिगण के पास आजीविका के लिए कैपल नहीं भूमि है। प्रार्थिनी ने झूठे तथ्यों पर दावा पेश किया है। प्रार्थिनी का कभी विवादित भूमि पर कब्जा नहीं रहा है। भूमि अप्रार्थिगण के कब्जाकाश्त में है अतः प्रा-पत्र प्रार्थिनी खारिज किया जावे।

बहस वकील उभयपक्ष पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में मौजूद प्रतिलिपि जमाबंदी 2005-06 पृ.सं. खाता सं. 123 मु.नं. 15 की कुल 6.33 है. भूमि में से 1/6 हिस्सा भूमि प्रार्थिनी के नाम खातेदारी दर्ज है। तथा न्यायालय द्वारा पूर्व में जारी अस्थाई निषेधाज्ञा भी प्रार्थिनी के छः हिस्सा की भूमि पर जारी की गयी है। प्रार्थिनी द्वारा दावा इस आधार पर पेश किया गया है कि प्रार्थिनी को धोखे में रखकर इस्तमरारदारी की गयी है। राजस्व रिकार्ड अनुसार प्रार्थिनी खातेदार इनेमेन्ट है। यदि अप्रार्थिगण के विरुद्ध निषेधाज्ञा पारित नहीं की जाती है तो अपूरणीय क्षति प्रार्थिनी को होने की संभावना है। अतः अपूरणीय क्षति का प्रश्न, प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का संतुलन प्रार्थिनी के पक्ष में प्रतीत है।

अतः इस विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थिनी स्वीकार किया जाकर [illegible] द्वारा पारित अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश 15-10-19 को मूल वाद निर्णय तक कन्फर्म किया जाता है। पत्रावली फैसल में शुमार होकर मूल वाद अंकन रहे।

उपखण्ड अधिकारी राजस्व
रायसिंहनगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Arpita Soni
Date: 2021.03.05 16:33:26 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner